"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 मई 2019 — ज्येष्ठ 8, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 29 मई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–01/2017/1–6. — राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की खंडपीठ द्वारा रिट पिटीशन (पीआईएल) क्रमांक 53/2014–चमरू राम कर्मा एवं अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में दिनांक 15–09–2016 को पारित आदेश के अनुपालन में "THE COMMISSION OF INQUIRY ACT, 1952" की धारा 3 (1) (b) के प्रावधानों के तहत् अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग श्री सी.के. खेतान की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करता है।

2. जांच के बिन्दु निम्नानुसार निर्धारित किये गये है :–

(I) किन–किन परिस्थितियों में तत्कालीन कलेक्टर एवं तहसीलदार, दंतेवाड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 06/अ–20(3)/2012–13 में जल्दबाजी (hasty manner) से कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 25–04–2013 पारित किया गया है?

(II) क्या उपरोक्त अधिकारियों द्वारा ऐसी कार्यवाही किसी निहित उद्देश्य से की गई?

(III) उपरोक्त के अलावा माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की विभिन्न कंडिकाओं में की गई टिप्पणियों पर भी जांच की जाय।

3. आयोग अपनी जाँच इस अधिसूचना की प्रकाशन के दिनांक से यथासंभव तीन माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.